



कार्यालय: प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची

वन भवन, डोरण्डा, राँची-834002, Phone-0651-2481909 (O) / 2480413 (F), e-mail-pccfjharkhand@yahoo.co.in

पत्रांक: ५बी०स्था०व्य० / सी०डी०-०५(२०१७-१८) ५११३

दिनांक: २३.११.१७

प्रेषक:

संजय कुमार, भा०व०से०,
प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
झारखण्ड, राँची।

सेवा में,

क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक,
हजारीबाग।

विषय: वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017-18 में स्थापना व्यय (विस्तृत), मांग संख्या-19, मुख्य शीर्ष-2406-गानिकी तथा वन्य प्राणी के अधीन "01- वनों का विस्तार, उन्नति एवं सुरक्षा," उपशीर्ष में राशि के आवंटन के संबंध में।

प्रसंग:- योजना-सह-वित्त विभाग (वित्त प्रभाग), झारखण्ड सरकार का पत्रांक-29 / बी०टी०ई०-१२/२०१६-१७ / ११३ / बजट राँची, दिनांक 27.02.2017।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र से राशि व्यय करने की प्राप्त अनुमति के आलोक में "01-वनों का विस्तार, उन्नति एवं सुरक्षा," उपशीर्ष के 01-वेतन इकाई में 400.00 लाख रु०, 03-मजदूरी इकाई में 0.675 लाख रु० एवं 23-आपूर्ति एवं सामग्री इकाई में 2.28 लाख रु० की अतिरिक्त आवंटन दी जाती है।

1. यह आवंटन योजना-सह-वित्त विभाग, झारखण्ड सरकार राँची के पत्रांक-29 / बी०टी०ई०-१२/२०१६-१७ / ११३ / बजट राँची, दिनांक 27.02.2017 तथा बिहार सरकार, वित्त विभागीय ज्ञाप संख्या-एम०-४-०५-९८ २५६१ / वि० (2) दिनांक 17.04.1998 के आलोक में किया जाता है।
2. रोकड़ प्रवाह (कैश फ्लो) के संबंध में वित्त विभागीय पत्रांक वित्त ४-२३/२००३ / १८०० दिनांक 15.07.2003 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
3. आवंटन पत्र में अंकित विपत्र कोड के अनुसार ही लेखा संधारण किया जाय।
4. यह आवंटन आपके पुनरीक्षित बजट प्राक्कलन 2017-18 का मांग, जिसमें नवनियुक्त वनरक्षियों के वेतनादि का राशि शामिल है एवं पत्र सं-२६७२, दिनांक 26.09.2017 के आलोक में दिया जा रहा है। आवंटित राशि से नवनियुक्त वनरक्षियों का भी वेतन का भुगतान सुनिश्चित किया जाय।
5. पुनरीक्षित बजट प्राक्कलन में 01-वेतन इकाई में मांग की गयी राशि के अतिरिक्त यदि और राशि की आवश्यकता हो तो उसकी सूचना से कल दिनांक 24.11.2017 के पूर्वाहन 12:00 बजे तक निश्चित रूप से इस कार्यालय को अवगत कराने की कृपा की जाय।
6. मांग प्राप्त नहीं होने पर यह समझ लिया जायेगा की उनके रथापनाओं के लिए अतिरिक्त राशि की आवश्यकता नहीं है। और इसके लिए वो स्वयं जिम्मेवार होंगे।

आवंटन आदेश पत्र संख्या- BHAEDP/01-17-18/25EDP की प्रति अत्र-सह-संलग्न है।

अनु०-यथो०।

विश्वासभाजन,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
झारखण्ड राँची।

ज्ञापांक: ५बी०स्थान्य० / सी०डी०-०५(२०१७-१८)
Envis Centre, Ranchi का

5113

दिनांक: 23.11.17

दिनांक: 23.11.17
प्रापांक: 5बी०स्थाय० / सी०डी०-०५(२०१७-१८) 5113
प्रतिलिपि- Envis Centre, Ranchi को आज ही विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।
मुख्य वन संरक्षक, प्रशासन
ल/न ज्ञारखड, राँची।
23.11.2017



गोपनीय सरकार

आवंटन आदेश

झारखण्ड सरकार

Forest, Environment and Climate Change Department

चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती हैं

पत्र संख्या - BHAEDP/01-17-18/25EDP

दिनांक -

23-Nov-2

क्रमांक	विपत्र कोड	एकसेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 19 240601101010101	75015	HZBFWL048	40,000,000.00
	2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी			
	01 - वानिकी		SANJEEV KUMAR	रुपये चार करोड़
	101 - वन मंरक्षण, विकास तथा संपोषण		R.C.C.F.HZB	
	01 - वनों का विस्तार, उन्नति एवं सुरक्षा			
	01 - वेतन एवं भत्ते			
	01 - वेतन			
	Establishment Expenditure			
	State Scheme :	NA		
	Central Scheme :	NA		
2	S 19 240601101010103	75016	HZBFWL048	67,500.00
	2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी			
	01 - वानिकी		SANJEEV KUMAR	रुपये सङ्सठ हजार पाँच सौ
	101 - वन मंरक्षण, विकास तथा संपोषण		R.C.C.F.HZB	
	01 - वनों का विस्तार, उन्नति एवं सुरक्षा			
	01 - वेतन एवं भत्ते			
	03 - मजदूरी			
	Establishment Expenditure			
	State Scheme :	NA		
	Central Scheme :	NA		
3	S 19 240601101010323	75017	HZBFWL048	228,000.00
	2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी			
	01 - वानिकी		SANJEEV KUMAR	रुपये दो लाख अठाइस हजार
	101 - वन मंरक्षण, विकास तथा संपोषण		R.C.C.F.HZB	
	01 - वनों का विस्तार, उन्नति एवं सुरक्षा			
	03 - प्रशासनिक व्यय			
	23 - आपूर्ति एवं सामग्री			
	Establishment Expenditure			
	State Scheme :	NA		
	Central Scheme :	NA		
				40,295,500.00

योगः

क्रमिक योगः

रुपये चार करोड़ दो लाख पिन्डानवे हजार पाँच सौ

(SANJAY KUMAR)